# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 48/2023 FSSA**

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री ग्यारसीलाल मालिक/एफबीओ मैसर्स रामजीलाल ओमप्रकाश खण्डेलवाल राजा कॉलोनी दौसा निवासी बी–40 खादी भण्डार रोड दौसा।
2. श्री लोकेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री मोहन लाल खण्डेलवाल प्रोपराईटर मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रॉडक्ट इण्ड. एरिया पालडा अजमेर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 51 एफएसएस रूल्स 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।

: अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रतिनिधि श्री प्रभु सामरिया उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 07.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूजर ने दिनांक 11.04.2023 को 3:51 पीएम पर मैसर्सः—रामजीलाल, ओमप्रकाश खण्डेलवाल राजा कॉलोनी दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री ग्यारसी लाल मिला। जिसको अपना परिचय दिया तथा पूछने पर श्री ओमप्रकाश ने स्वयं को मैसर्सः— रामजीलाल, ओमप्रकाश खण्डेलवाल राजा कॉलोनी दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया। निरीक्षण के समय फर्म पर अन्य खाद्य पदार्थो के साथ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** के रिफिल पैक दुकान में पेपर कार्टन 440—440 ग्राम के 18 पैकेट रखे हुये पाये। जिसका निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री ओमप्रकाश को नियमानुसार फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पेपर कार्टन को खोलकर उसमे से 18 पैकेट रिफिल पैक रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** 440—440 ग्राम में से 4 पैकेट ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री ओमप्रकाश को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 240/—(अक्षरे दो सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** को विक्रेता श्री ओमप्रकाश एवं गवाहान को दिखाकर 440—440 ग्राम को इलेक्ट्रॉनिक मापक मशीन से तुलवाकर अलग—अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक डिब्बों में रखकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द कि[illegible]यमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तै[illegible] क[illegible]बलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड [illegible]क एजी—3312 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री ओमप्रकाश तथा गवाहान के नियम[illegible]र हस्ताक्षर कराये तथा [illegible] नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अ[illegible]—अलग एक खाकी काग[illegible] [illegible]पेट कर प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.14 15:25:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी–3312 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना क्रय करते समय विक्रेता श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री ग्यारसीलाल मालिक मैसर्सः–रामजीलाल, ओमप्रकाश खण्डेलवाल राजा कॉलोनी दौसा ने मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्टर इण्ड. एरिया पालडा अजमेर के वारंटी बिल/इनवॉयस 5373 दिनांक 15.03.2023 की छायाप्रति बतौर वारण्टी प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय **CM&HO** दौसा को भेजकर दिनांक 12.04.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 12.04.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /563/एक्ट/2023/585 दिनांक 24.04.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित आया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रॉडक्ट के मैनेजर श्री प्रभु सामरिया उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./563/एक्ट/2023/585 दिनांक 24.04.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** के नमूना की जांच रिपोर्ट में **BR Reading** 54.8 पाई गई है जो कि मानक स्तर के अनुसार 35.5 से 44.0 के बीच होनी चाहिये। **Saponification Value** 186.39 पाई गई है जो कि मानक स्तर के अनुसार 195.0 से 205.0 के बीच होनी चाहिये थी। **Iodine Value** 95.17 पाई गई है जो कि मानक स्तर के अनुसार 45.0 से 56.0 के मध्य होनी चाहिये थी। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अवमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमने उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रॉडक्ट इण्ड. एरिया पालडा अजमेर से जरिये बिल क्रय किया है। हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं किया है। उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रॉडक्ट इण्ड. एरिया पालडा अजमेर द्वारा किया गया है। हमारे द्वारा यह खाद्य पदार्थ पैक ही क्रय किया जाकर पैक ही विक्रय किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.14 15:25:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा जरिये प्रतिनिधि जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 11.04.2023 को मैसर्स रामजीलाल ओमप्रकाश खण्डेलवाल राजा कॉलोनी दौसा से खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्राण्ड का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया था जो कि जांच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण हमारी फर्म सेठ सांवरिया फूड प्रॉडक्ट इण्ड. एरिया पालडा अजमेर द्वारा किया गया है। हमारी ओर से इसमे किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट में जो कमियां उक्त खाद्य पदार्थ में पाई गई है। भविष्य में उक्त खाद्य पदार्थ में पाई गई कमियों में सुधार करने के बाद ही हमारे द्वारा इसका विक्रय किया जायेगा। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रार्थी को दोषमुक्त करने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट एल. एस./563/एक्ट/2023/585 दिनांक 24.04.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** का नमूना एफ. एस.एस.ए की धारा 3(1)(z)(x) का उल्लंघन होने से अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर का खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड पॉम ऑयल सेठ कन्हैया ब्रांड **(Refined Palm Oil Seth Kanhaiya Brand)** विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री ग्यारसी लाल मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स रामजीलाल ओमप्रकाश खण्डेलवाल राजा कॉलोनी दौसा निवासी बी–40 खादी भण्डार रोड दौसा पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) एवं अभियुक्त संख्या 2 श्री लोकेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री मोहन लाल खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रॉडक्ट इण्ड0 एरिया पालडा अजमेर पर 20000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 07.02.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( नरेश बुनकर )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2024/ दिनांकः– 07.02.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री ग्यारसीलाल मालिक/एफबीओ मैसर्स रामजीलाल ओमप्रकाश खण्डेलवाल राजा कॉलोनी दौसा निवासी बी–40 खादी भण्डार रोड दौसा।
4. श्री लोकेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री मोहन लाल खण्डेलवाल प्रोपराईटर मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रॉडक्ट इण्ड. एरिया पालडा अजमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.14 15:25:38 IST
Reason: SelfAttested

( नरेश बुनकर )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

# <u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 58 / 2023 FSSA</u>

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी एफ.बी.ओ. मैसर्स कर्मा ट्रेडिंग कम्पनी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा निवासी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा।
2. श्री टीकम चन्द गुप्ता पुत्र श्री विष्णु लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स सिटी पावर हाउस के सामने कोतवाली रोड हिन्डौन सिटी जिला करौली निवासी भायला पुरा हिन्डौन सिटी जिला करौली।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 51 एफएसएस रूल्स 2011
उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः— 07.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूजर ने दिनांक 10.05.2023 को 12:11 पीएम पर मैसर्सः—कर्मा ट्रेडिंग कम्पनी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभू दयाल सैनी मिला। जिसको अपना परिचय दिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार सैनी ने स्वयं को मैसर्सः— कर्मा ट्रेडिंग कम्पनी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया। निरीक्षण के समय फर्म पर अन्य खाद्य पदार्थो के साथ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड **(Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand)** का मूल पैक दुकान में पेपर कार्टन 50—50 ग्राम के 10 पैकेट रखे हुये पाये। जिसका निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी को नियमानुसार फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पेपर कार्टन को खोलकर 10 पैकेट बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड **(Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand)** में से 8 पैकेट वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 1200/—(अक्षरे बारह सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड **(Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand)** को विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी एवं गवाहान को दिखाकर 50—50 ग्राम को इलेक्ट्रॉनिक मापक मशीन से तुलवाकर अलग—अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक डिब्बों में 2—2 मूल पैक प्रत्येक 50—50 ग्राम रखकर रखकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने [illegible] व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी—3495 अंकित [illegible] प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर [illegible] नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग—अलग [illegible] लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी—3495 को नियमानुस[illegible] चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.14 15:25:38 IST
Reason: Self Attested